विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-*7 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
7-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2017-2018 के अंतर्गत चन्द्रावती देवी बालिका इण्टर कालेज बेलाडी, विकास खण्ड -बस्ती सदर, जनपद-बस्ती के कैम्पस के अंदर विद्युत विभाग द्वारा ले जाये गये तार को कैम्पस से बाहर स्थापित किए जाने हेतु रूपये दो लाख पैतालिस हजार आठ सौ धनराशि अवमुक्त की गयी थी?	जी हॉ।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवमुक्त धनराशि से विद्युत विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?	श्री अम्बिका सिंह प्रबन्धक चंद्रावती देवी बालिका इण्टर कालेज बेलाड़ी, जनपद-बस्ती के द्वारा विद्यालय प्रांगण के ऊपर से जा रही 33 के०वी० लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने हेतु पत्र दि० 06.05.2016 मुख्य अभियंता कार्यालय में दिया गया था। तदोपरान्त वि०वि०खं०-द्वितीय, बस्ती के द्वारा रू0 282679.00 की टी०सी० प्रबन्धक चंद्रावती देवी बालिका इण्टर कॉलेज एंव परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती को दि० 04.01.2017 को प्रेषित की गयी थी। दि० 28.08.2017 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा धनराशि रू0 245800.00 वि०वि० खं०-द्वितीय बस्ती के खाते में जमा कर दिया गया। उक्त धनराशि प्राप्त होने के बाद समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए कार्य प्रारम्भ करते हुए 06 खंभे गाड़ दिए गए। परन्तु जिनके खेत से होकर उक्त लाईन का

निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, उस खेत के मालिक के द्वारा विरोध उत्पन्न किया गया। विरोध के कारण कार्य लम्बित हो गया। विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत कॉलेज परिसर में 33 के०वी० लाइन की गार्डिंग करा दी गई थी। वि०वि०खं०-द्वितीय, बस्ती के पत्रांक 5065 दि0 22.11.2023 द्वारा श्री अम्बिका सिंह प्रबन्धक को अविवादित भूमि उपलब्ध कराते हुए शपथ पत्र मांगा गया। श्री अम्बिका सिंह, प्रबन्धक के द्वारा पुनः उसकी भूमि पर शिफ्टिंग किये जाने हेतु शपथ पत्र दि० 11.12.2023 को प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पुनः कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास किया गया। किन्तु खेत के मालिक के अवरोध के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। वर्तमान में विवाद का निपटारा होने के पश्चात विद्यालय प्रबन्धक द्वारा अविवादित भूमि उपलब्ध कराये जाने के बाद दि० 26.03.2025 को उक्त लाईन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

(ग) लगभग 08 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रस्तावित कार्य न होने की जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगें ?

उक्त कार्य जमीनी विवाद होने के कारण पूर्ण कराये जाने में समय लगा।

(घ) उक्त प्रस्तावित कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उक्त लाइन शिफ्टिंग का कार्य दि० 26.03.2025 को पूर्ण करा दिया गया है।

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री।